4

पोत परिवहन मंत्रालय- 2017- दृढ़ता का वर्ष

Posted On: 21 DEC 2017 2:04PM by PIB Delhi

वर्ष 2017 को पोत परिवहन मंत्रालय दृढ़ता के वर्ष के तौर पर मना रहा है। इस वर्ष इस बात पर खास ध्यान दिया गया कि अतीत में जो उपलब्धियां हासिल हुई उससे प्रेरणा लेकर बेहतर कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि पोत परिवहन परियोजनाएं आने वाले समय में और मजबूती के साथ दुनिया के फलक पर नजर आए।

1.बंदरगाह

1.बंदरगाह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में वे निर्यात-आयात व्यापार के लिए प्रवेश द्वार का काम करते हैं। अगर समग्रता में देखा जाए तो बंदरगाहों के जिए 90 फीसदी मात्रा और कीमत के रूप में 70 फीसदी बाहरी व्यापार होता है।

क्षमता और यातायात

1.2 देश की व्यापारिक जरूरत को पूरा करने के लिए बंदरगाहों के आधारभूत विकास और क्षमता में वृद्धि पर ध्यान दिया गया है। समय के साथ साथ देश के महत्वपूर्ण बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता में बढ़ोतरी हुई है।

वर्ष	क्षमता (MTPA)
2012-13	744.91
2013-14	800.52
2014-15	871.34
2015-16	965.36
2016-17	1065.83

1.3 देश के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर यातायात प्रबंधन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है।

वर्ष	ट्रैफिक(In MT)
2012-13	545.79
2013-14	555.49
2014-15	581.34
2015-16	606.37
2016-17	648.40
2017-18	439.66

आंकड़े नवंबर 2017 तक

परियोजनाओं और निवेश पर फैसला

1.4 2016-17 के दौरान 57 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इन परियोजनाओं में 9490.51 करोड़ रुपये के निवेश के जिए 102.52 एमटीपीए क्षमता को और जोड़ा गया। 2017-18 में 59 परियोजनाओं को मंजूरी देने का देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए 25 मार्च 2015 को मंत्रीमंडलने सागरमाला कार्यक्रम को स्वीकृत कर दिया था। यह भारत सरकार के महत्वाकांक्षी फैसलों में से एक है। इस कार्यक्रम के तहत आने वाले 10 से 15 साल में 91,434 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 142 पोत परियोजनाओं की पहचान की गई है।

दक्षता मापदंडो में सुधार

1.5 महत्वपूर्ण बंदरगाहों की क्षमता में बढ़ोतरी के लिए पोत परिवहन मंत्रालय(मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग) ने नीतियों और कार्यविधियों में बदलाव के रास्ते पर चलने का फैसला किया है जिसका असर कार्यक्षमता में बढ़ोतरी के तौर पर देखा भी जा रहा है। 2015-16 में औसत प्रतिवर्तन समय 87.36 घंटे था जो कि 2016-17 में 82.56 घंटे हो गया इसके साथ ही सबसे बेहतरीन परिणाम 2017-18 में दर्ज किया गया जो 63.33 घंटे था(31 अक्टूबर 2017 तक)। प्रति जहाज औसत आउटपुट 2015-16 में 13156 टन था जबिक 2016-17 में ये बढ़कर 14583 टन हो गया और 2017-17 में 31 अक्टूबर 2017 तक ये 14912 हो गया। दुनिया के बेहतरीन बंदरगाहों की कार्यक्षमता के साथ भारतीय बंदरगाहों की कार्यक्षमता का तुलानात्मक अध्ययन किया गया। परामर्शदाताओं द्वारा सुझाए गए 117 बिंदुओं में से 86 बिंदुओं पर पहले से ही काम चल रहा है जबिक शेष को 2019 तक क्रियान्वित करने का फैसला किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि शेष सुझावों के अमल में आने के बाद आने वाले समय में भारतीय बंदरगाहों की कार्यक्षमता में व्यापक बदलाव आएगा।

कार्यक्षमता में सुधार के लिए नीतिगत पहल

1.6 पोत परिवहन द्वारा उठाए गए कुछ सक्रिय नीतिगत पहलों के कारण क्षमता में वृद्धि, प्रमुख परिचालन दक्षता और उच्च परिचालन अधिशेष के मामले में प्रमुख बंदरगाहों की उपलब्धि संभव हुई है। एक नई जहाज ठहरने के लिए स्थान संबधी नीति और जहाज कुली नीति लागू की गई है। पोत क्षेत्र में सार्जजिनक-निजी भागीदारी(पीपीपी) परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) की अनुमित है। पोर्ट एमएसी के कुछ प्रावधानों के कारण पोत क्षेत्र में अधिक आकर्षक बनाने के लिए पीपीपी परियोजनाओं को निष्पादित करने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए मॉडल रियायत समझौते को संशोधित किया जा रहा है। मौजूदा मेजर बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम,1963 को बदलने के लिए एक नया प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2016 को 16.12.2016 को लोकसभा में संस्थागत ढांचे की अधिक स्वायत्तता और आधुनिकीकरण प्रदान करने के विचार के साथ रखा गया। संसद की स्थायी समिति द्वारा इस विधेयक की जांच की गई है और समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक सरकारी संशोधनों को तैयार किया गया है। प्रस्तावित विधेयक में सरकारी संशोधनों को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रेमंडल की मंजूरी लेने से पहले अंतरमंत्रालयी परामर्श आयोजित किए जा रहे हैं।

दीनदयाल बंदरगाह

1.7 पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा राष्ट्र की सेवा करने के लिए अमूल्य योगदान और बलिदानों की पहचान के लिए तथा गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए, कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह में बदल दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना 24/09/2017 को जारी की गई।

व्यापार करने में आसानी

- 1.8 बंदरगाहों पर व्यवसाय को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय करना आसान बनाने के एक हिस्से के रूप में,कई कार्यों में मैनुअल प्रारूपों को समाप्त करना, सीधे बंदरगाह वितरण, बंदरगाहों पर कंटेनर स्कैनर की स्थापना, आरएफआईडी आधारित स्वचालन प्रणाली आदि शामिल हैं। आरएफआईडी प्रणाली को 9 प्रमुख बंदरगाहों में पहले से ही रखा गया है। मार्च 2018 तक सिस्टम बंदरगाहों में होने की उम्मीद है। प्रत्यक्ष बंदरगाह वितरण (डीपीडी) मात्रा लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के तहत, ग्रीन एजेंडे की पहल के लिए प्रमुख बंदरगाहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और तेल प्रदूषण से निपटने की उनकी क्षमता के निर्माण के लिए नई योजनाएं तैयार की गई हैं। बंदरगाहों को सफाई पर मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रमुख बंदरगाह अगले पांच वर्षों में 150 मेगावाट (सौर और पवन ऊर्जा) से अधिक उत्पन्न करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। 2016-17 के दौरान प्रमुख बंदरगाह पर 5 मेगावाट सौर और 6 मेगावाट पवन शक्तियों को पहले ही चालू कर दिया गया है। 2018 के अंत तक, 91.5 मेगावाट सौर और 45 मेगावाट पवन शक्ति प्राप्त होने की उम्मीद है। विशेष बंदरगाहों के आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और तटीय आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित दिया जा रहा है। कांडला और पारादीप के जेएनपीटी स्मार्ट औद्योगिक पोर्ट शहरों में एसईजेड का कार्यान्वयन चल रहा है।
- 1.9 100% कैशलेस लेन-देन सभी प्रमुख बंदरगाहों में प्राप्त किए गए हैं, भूमि अभिलेखों को डिजिटल किया गया है,बंदरगाहों पर काम करने वाले पेंशनभोगियों को आधार बॉयोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा गया है।

ईरान में चाबहार बंदरगाह

1.10 भारत ईरान के चाहबहार बंदरगाह के विकास में भी व्यस्त है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चाबहार में शाहिद बेहेष्टी बंदरगाह के चरण -1 का उद्घाटन 3 दिसबंर 2017 को ईरान के माननीय राष्ट्रपति ने किया। समारोह में माननीय वित्त एवं नौवहन राज्य मंत्री श्री पोन राधाकृष्णन भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल हुए।

अंतर्देशीय (इनलैंड) जल परिवहन

2.1 जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी)

'जल मार्ग विकास' (राष्ट्रीय जलमार्ग- I: नदी गंगा) परियोजना का अनुमान है कि वाराणसी और हिन्दिया के बीच 3 मीटर की गहराई के साथ 1380 किमी लंबे मार्ग का होगा, जिसमें अनुमानित लागत 5369 करोड़ है। परियोजना के पूरा होने के बाद यह मार्ग 1500-2000 टन जहाजों के वाणिज्यिक नेविगेशन में सक्षम होगी। इस परियोजना को विश्व बैंक की तकनीकी और आर्थिक सहयोग से आइडब्ल्यूएआई(IWAI) कार्यान्वित कर रही है।2022-23 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत प्रमुख गतिविधियां मल्टी-मोडल टर्मिनल, जेटी, नदी सूचना प्रणाली, चैनल अंकन, नौवहन ताला, नदी प्रशिक्षण और संरक्षण कार्यों का निर्माण किया जा रहा है।

परियोजना का मूल्यांकन सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा किया गया है। जेएमवीपी के लिए विश्व बैंक के ऋण को मंजूरी दे दी गई है। जेएमवीपी के क्रियान्वयन पर सीसीईए नोट माननीय वित्त मंत्री द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन से पुनर्निर्माण प्राप्त करने के लिए मंजूरी दे दी गई है, जो नेविगेशन के लिए निद्यों में रखरखाव के लिए निचली मिट्टी के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

इस बीच, उप-परियोजनाओं में काम प्राथमिकता से प्रारंभ हुआ है। अर्थात्, वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज में बहु-मोडल टर्मिनलों का निर्माण और फरक्का से नेविगेशन लॉक शामिल है। इन सब परियोजना की स्थिति नीचे दी गई है।

- 2.2 मल्टी-मोडल टर्मिनल, वाराणसी
- चरण -1 (ए) में मुख्य रूप से ऑफशोर वर्क्स के निर्माण के लिए 13 जून 2016 को 196 करोड़ के काम करने का आदेश दिया गया है। 12 अगस्त 2016 को नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्गों के माननीय मंत्री द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा। मल्टी मोडल टर्मिनल पर काम शुरू हो चुका है जिसके मई 2018 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।
- 2.3 मल्टीमॉडल टर्मिनल. साहिबगंज
- चरण -1 में टर्मिनल के निर्माण के लिए कार्य 27.10.2016 को 280.90 करोड़ रूपये दिए गए हैं। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 06.04.2017 को नींव रखी गई थी। इस परियोजना को जून 2019 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 2.4 मल्टीमॉडल टर्मिनल, हल्दिया

हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में 61 एकड़ जमीन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से 30 साल की पट्टे पर ली गई है। टर्मिनल के निर्माण के लिए 27.12.2016 को 517 करोड़ रूपये दिए गए हैं और दिसंबर, 2019 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

- 2.5 नई नेवीगेशन लॉक का निर्माण, फरका
- 15.11.2016 को 359.19 करोड़ रुपये लागत वाली परियोजना को काम दिया गया और इसके अप्रैल 2019 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 2.6 राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास -4

भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति ने माननीय नौवहन मंत्री आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 3 अक्टूबर 2017 को मुक्तियाला से विजयवाड़ा तक राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के चरण -1 के लिए विकास कार्य शुरू करने के लिए नींव रखी गई। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन राजधानी अमरावती के लिए सामग्री की आवाजाही की सुविधा होगी। इसके साथ ही अस्थायी टर्मिनलों के ड्रेजिंग और स्थापना के लिए काम शुरू किया गया है।

2.7 राष्टीय राजमार्ग पर कार्गो मूवमेंट

आईडब्ल्यूएआई, राष्ट्रीय वाटरवेज पर कार्गों के आवाजाही पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि टर्मिनल और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थापना के साथ साथ , उनका उपयोग प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो। आईएडब्ल्यूएआई के रो रो पोत जहाज पर परिवहन कार्गों (सेना के आठ ट्रकों और 20 कर्मियों) का एक पायलट रन, एमवी गोपीनाथ बोरदोलोई (क्षमता 250 डीडब्ल्यूटी पांडू (गुवाहाटी) से बोगिबिल (डिब्रूगढ़) तक राष्ट्रीय जलमार्ग -2 (नदी ब्रह्मपुत्र) पर 24 से 29 अप्रैल, 2017 के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। पायलट आंदोलन आईडब्ल्यूएआई के उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय जलमार्ग पर आईडब्ल्यूटी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों का हिस्सा था।

आईडब्ल्यूएआई का कार्गो पोत एमवी वी.वी. गिरी, लोलाघाट, पश्चिम बंगाल (रुपूनारायण नदी) से भागलपुर (गंगा पर) से सीमेंट बनाने वाली एक प्रमुख निर्माता की 240 मीट्रिक टन सीमेंट ले गई।

गौघाट (पटना) से भागलपुर तक 50,610 टन सीमेंट, साहिबगंज (झारखंड) से मनिहारी (बिहार) तक नेशनल वाटरवेज-1 पर 73,400 टन पत्थर का परिवहन अप्रैल 2017 में एक नाव चार्टर एजेंसी ने पूरा किया था।

2.8 आठ (08) नए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2017-18 के दौरान मंडोवी, ज़ुआरी, केंबर्जुआ, बाराक, गंडक, रून्नारयन, आलमपुझा-कोट्टायम-अथिरामपुर नहर और सुंदरवन राष्ट्रीय जलमार्ग को विकास के लिए चयनित किया गया। गोवा के तीन राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास IWAI, मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट और बंदरगाहों के कप्तान, सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद किया जाएगा। गंडक नदी में बैंडिंग और चैनल मार्किंग के काम के साथ ही काम जल्द ही शुरू होगा। बराक नदी में फेयरवे विकास के लिए काम तेजी से जारी है। सुंदरबन जलमार्ग के हेमनगर में फेयरवे और पंटुन के लिए टेंडर अंतिम रूप में है। रूपनारायण नदी में ड्रेजिंग और फ्लोटिंग टर्मिनलों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2.9 आईडब्ल्यूएआई द्वारा बांड की स्थापना

वित्त मंत्री के बजट घोषणा 2016-17 के आधार पर, आईडब्ल्यूएआई को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के जिए बांड के रूप में 1000 करोड़ जुटाने की इजाजत दी गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में आईएडब्ल्यूएआई ने 340 करोड़ रुपये जुटाए हैं और शेष 660 करोड़ रुपए अक्टूबर में जुटा लिए गए। ईबीआर के तहत आईएडब्ल्यूएआई द्वारा जुटाए गए धन को राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के विए कैपिटल व्यय के लिए किया गया।

2.10 राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास और रखरखाव के लिए संस्थागत वित्त पोषण (एनडब्ल्यू) - केंद्रीय सड़क निधि के 2.5 प्रतिशत का आवंटन

केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के संशोधन के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के आय का 2.5 प्रतिशत आवंटित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त रूप से नौवहन मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरएचएच) द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) के विकास और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए प्रदान किए गए हिस्से में एक अनुरूप कमी निर्णय को लागू करने के लिए, केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017 को लोक सभा में 24.07.2017 को पेश किया गया।

मंत्रिमंडल का निर्णय आईडब्ल्यूटी सेक्टर के विकास के लिए एक प्रमुख है, जो कि कम सार्वजनिक निधि के कारण अतीत में नहीं उतर पा रहा था। सीआरएफ की आय का 2.5 प्रतिशत आवंटन से करीब प्रति वर्ष करीब 2000 हजार करोड़ की राशि मौजूदा दरों पर एनडब्ल्यू के विकास और रखरखाव के लिए मिल सकेंगे। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने अनुमान लगाया है कि 2022-23 तक एनडब्ल्यू की पहचान और परियोजनाओं के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

वाराणसी में 2.11 फ्रेट ग्राम और रसद हब

रसद दक्षता में सुधार के लिए, जल मार्ग विकास परियोजना के तहत निर्माण के तहत बहु-मोडल टर्मिनल के निरंतरता में वाराणसी में फ्रेट ग्राम और रसद हब स्थापित करने का प्रस्ताव है। माल भाड़ा गांव की अनुमानित लागत 3,555 करोड़ रूपये है। फ्रेट ग्राम को स्थापित करने के लिए, आर्थिक मामलों के विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने 240 मिलियन अमरीकी डॉलर (260 करोड़ रूपये) की तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव पेश किया और विश्व बैंक प्रस्ताव पर सहमत हो गया। आईएडब्ल्यूएआई को इस उद्देश्य के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने की सलाह दी गई है।

2.12 एनडब्ल्यू -16 (नदी बराक) पर कार्गो की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही

कार्गों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही एनडब्ल्यू -16 (नदी बराक) पर शुरू हुई है। 200 मीट्रिक टन चूना पत्थर का पहला माल बांग्लादेशी नौका एम.वी करीमगंज के मिया मौ (असम) से आशुगंज (बांग्लादेश) से 22 मई, 2017 को राष्ट्रीय जलमार्ग 16 के माध्यम से किया गया।

- 2.13 तटीय और प्रोटोकॉल मार्ग पर यात्री और क्रूज सेवाओं पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन बांग्लादेश की माननीय प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान 08.04.2017 को यात्री और क्रूज सेवाओं पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यात्री और क्रूज सेवाओं के प्रारंभ के लिए डाफ्ट एसओपी के साथ विचार विमर्श किया गया. और विदेश मंत्रालय द्वारा परामर्श में अंतिम रूप दिया गया है।
- 2.14 भारत और बांग्लादेश के बीच आउजगंज-जाकिगंज के फेयरवे विकास और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के सिराजगंज-दखावा खंड के बीच समझौता ज्ञापन
- 08.04.2017 को भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के आशुगंज-जािकगंज और सिराजगंज-दिखवा के फैलेवे विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। फेयरवे को आईडब्ल्यूएआई और बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण (बीआईडब्ल्यूटीए) द्वारा विकसित किया जाना है। दोनों हिस्सों के फेयरवे विकास के लिए निविदा दस्तावेज अंतिम रूप दे रहे हैं। विदेश मामलों के मंत्रालय ने उपरोक्त हिस्सों के उचित मार्गों के विकास की लागत को वहन करने पर हामी भर दी है। सात साल की अविध में 244.0 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- 2.15 भारत और बांग्लादेश के बीच चटगांव और मोंगला बंदरगाह के इस्तेमाल के लिए और भारत से माल की आवाजाही के बीच समझौता
- 6 जून, 2015 को दोनों देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू का संचालन करने के लिए, भारत ने बांग्लादेश के विचार के लिए एसओपी का प्रारूप तैयार किया। हालांकि, बांग्लादेश चाहता था कि समझौता ज्ञापन के संचालन के लिए एक समझौते की आवश्यकता है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि 07.12.2016 को ढाका में सचिव (एस) स्तरीय वार्ता के दौरान समझौते के साथ-साथ एसओपी को एक साथ अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद मसौदा समझौते और एसओपी को बांग्लादेश सरकार को भेजा गया। लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद एसओपी को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रारूप समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बांग्लादेश भेजा गया है।
 - 3. नौवहन क्षेत्र
 - 3.1 कानून

एडिमरल्टी (न्यायक्षेत्र और समुद्री दावों के निपटान) अधिनियम, 2017

9 जुलाई, 2017 को एडिमिरल्टी (समुद्री दावे के न्यायक्षेत्र और निपटारा) अधिनियम, 2017 लागू किया गया था। यह अधिनियम अदालतों की एडिमिरल्टी क्षेत्राधिकार से संबंधित मौजूदा कानूनों को समेकित करता है, समुद्री दावों पर सौहार्दपूर्ण कार्रवाई, जहाजों को कब्जे में लेना और संबंधित मुद्दों के साथ साथ पांच अप्रचलित ब्रिटिश स्टैच्यू पर एडिमिरल्टी क्षेत्राधिकार शामिल है। यह अधिनियम भारत के तटीय राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों पर एडिमिरल्टी का न्यायक्षेत्र प्रदान करता है और इस क्षेत्र में प्रादेशिक जल तक फैली हुई है। यह अधिनियम नाविको की लंबित पुरानी मांग को पूरा करेगा।

अब, सभी तटीय राज्यों के उच्च न्यायालय समुद्री दावों पर नौवहन अधिकार क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें कई पहलुओं को आयातित और पहले से जुड़ा सामान तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य वाहनों के वेतन, समुद्री जीवन के नुकसान, बचत,बंधक, हानि या क्षति, सेवाओं और मरम्मत, बीमा, स्वामित्व और ग्रहणाधिकार, पर्यावरण को नुकसान का खतरा आदि भी शामिल है। कानून समुद्री जल के वेतन के भुगतान की सर्वोच्च प्राथमिकता को स्वीकार करता है। यह गलत और अनुचित गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है और एक उच्च न्यायालय से दुसरे उच्च न्यायालय में मामलों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान है।

व्यापारी नौवहन अधिनियम, 2016

दिसंबर, 2016 में व्यापारी नौवहन (एमएस) अधिनियम को संसदीय स्थायी समिति के लिए भेजा गया था। समिति ने 18 जुलाई, 2017 को अपनी सिफारिशें दी। समिति की सिफारिशों की जांच की गई। परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर संबंधित संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के स्वीकृति / अस्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल नोट और व्यापारी नौवहन अधिनियम 2016 में सरकारी संशोधनों की शुरूआत, 10.10.2017 को अंतःस्रावी परामर्श के लिए परिचालित किया गया था और उम्मीद है कि कानून मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा इसके बाद इसे मंत्रीमंडल के पास पेश किया जाएगा और फिर लोकसभा से अनुरोध किया जाएगा कि वह इस विधेयक पर विचार करे और आधिकारिक संशोधनों के साथ गुजर जाए।

3.2 भारतीय समुद्री क्षेत्र

नौवहन उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में काम कर रहे सबसे वैश्वीकृत उद्योगों में से एक है। यह उद्योग अधिकांश अन्य उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक उदार है और इस प्रकार, विश्व अर्थव्यवस्था और व्यापार से जटिलता से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय शिपिंग टन भार, जो केवल 1.92 लाख सकल टन भार (जीटी) था, अब 31.10.2017 को 1359 जहाजों के साथ 122.32 लाख जीटी है।

3.3 जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति

भारत सरकार घरेलू पोत निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 10 वर्षों (2016-2026) के लिए 4000 करोड़ पोत जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति पर काम कर रहा है। इस नीति के तहत भारतीय नौका शिपयार्ड्स को "निविदा मूल्य" के कम से कम 20% या उनके द्वारा निर्मित प्रत्येक पोत के "उचित मूल्य" के समक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी।

पोत परिवहन मंत्रालय ने 31.10 2017 को शिपमेंटों को नीति के तहत आवेदन करने के लिए दिशा-निर्देशों के एक संशोधित सेट के साथ-साथ, वेब एप्लिकेशन के अपडेट किए गए संस्करण को जारी किया।

3.4 अलंग-सोसानिया जहाज रिसाइकिलिंग यार्ड में पर्यावरण प्रबंधन योजना का उन्नयन

अलंग-सोसिया जहाज रिसाइकिलिंग यार्ड में पर्यावरण प्रबंधन योजना के उन्नयन के लिए 76 मिलियन की साफ्ट ऋण के लिए जेआईसीए और वित्त मंत्रालय के बीच 15.09 .2017 को एक ऋण समझौता किया गया ।

3.5 शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

एक सेकेंड हैंड वीएलजीसी आकार का गैस टैंकर 14 सितंबर, 2017 को यूएई के खोरफक्कन में भारतीय नौवहन निगम को दिया गया था। इसके साथ, एससीआई 6 मिलियन डीडब्ल्यूटी कंपनी बन गई है।

3.6 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा 'मेक इन इंडिया': अंडर अंडर इंडिया की पहल के तहत, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार चार यात्री-कम-कार्गों वाहिनियों का निर्माण किया है। दो जहाजों में 500 व्यक्तियों और 150 टन कार्गों की क्षमता होगी और दूसरे दो में 1200 व्यक्तियों और 1000 टन कार्गों की क्षमता होगी।

3.6.1 अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा

केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री ने 17.11.2017 को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा के लिए आधारशिला रखी। यह सुविधा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा रुपए की लागत से विकसित की जा रही है। 970 करोड़ इसके पास एक जहाज लिफ्ट और ट्रांसफर सिस्टम, छह कार्य स्टेशन और संबद्ध सुविधाएं होंगी और 1500 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

3.6.2 ड्राई डॉक

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने जहाज निर्माण / जहाज की मरम्मत क्षमता बढ़ाने के लिए एक सूखी डॉक की स्थापना की है, जिसकी लागत 1799 करोड़ रुपये है। इसके लिए अनुबंध जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। 30 महीने में समाप्त होने बाले इस परियजना से करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

3.6.3 आईपीओ जारी करना

उपरोक्त दो विस्तार परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने आईपीओ के तहत 3,39,84,000 शेयर जारी करने का ऐलान किया। 10 रुपये प्रत्येक की राशि 33.984 करोड़ रुपये है। आईपीओ 1 अगस्त 2017 को खोला गया और 03 अगस्त 2017 को बंद हुआ। आईपीओ को उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिला और ये 76.18 गुना ज्यादा ओवसब्सक्राइब हुआ।

3.7 लाईट हाउस या प्रकाशस्तंभ

अ- मॉटम लाइटहाउस में तकनीकी और विरासत समुद्री संग्रहालय की स्थापना

लाइटहाउसों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विरटेज टेक्नोलॉजी से आधुनिकीकरण के लिए आधुनिक एडी ऑफ नेविगेशन, म्युजिकल फाउंटेन, चिल्ड्रन पार्क और देखने गैलरी की स्थापना के लिए एक हेरिटेज मैरीटाइम म्यूजियम ने स्थापित किया गया है।

प्रकाशगृहों में सौर ऊर्जा का प्रयोग

सभी 193 लाइटहाउसों में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। इससे लगभग 6 मेगावाट ऊर्जा बनने के साथ साथ प्रति दिन 6 टन ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आ रही है।

वेम्बार में नई लाइटहाउस की स्थापना

नाविकों की सुरक्षा के लिए वेम्बार में एक नया लाइटहाउस स्थापित किया गया है। इस प्रकाशस्तंभ का उद्घाटन राज्य मंत्री श्री पोंद्रकृष्णन ने 19 .1. 2017 को किया।

3.8 भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

आईएमयू ने 3 नए पाठ्यक्रम बीबीए (रसद, रिटेलिंग और ई-कॉमर्स), एमएससी शुरू किया है। (वाणिज्यिक शिपिंग लॉजिस्टिक्स) और एमटेक (मैरीन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट) शैक्षणिक वर्ष 2017 से - 18. आईएमयू ने साउथेम्प्टन सॉलेंट यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय(आईएमयू) मुख्यालय 130.80 करोड़ की लागत से चेन्नई में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनाया गया है और इसका काम पूरा हो चुका है।

आईएमयू मुंबई परिसर का आईएमयू मुंबई पोर्ट कैंपस और आईएमयू नवी मुंबई परिसर में विभाजित किया गया है। जून 2017 में सिमुलेटर स्थापित करने के लिए एक नया अकादिमक अनुलग्नक भवन का उद्घाटन किया गया है।

आईएमयू के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए आईएमयू ने कर्मचारी शिकायत पोर्टल की शुरुआत की है। राजपत्र में संशोधित और प्रकाशित 20 पुराने अध्यादेशों के बारे में 20 / आईएमयू, विशाखापटनम कैम्पस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता एसआरपी के साथ आईआरएस, सीमेंस और मंत्रालय शामिल हैं।

- 3.9 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- 3.9.1 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन
- 1 दिसंबर, 2017 को आईएमओ में आयोजित आईएमओ काउंसिल के चुनाव के दौरान भारत के दूसरे सबसे ज्यादा वोटों के साथ, श्रेणी 'बी' के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) परिषद के सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित हुआ।
- 3.9.2 समझौते / एमओयू पर हस्ताक्षर किए
- 25 जनवरी, 2017 को मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन पर संस्थागत सहयोग पर भारत गणराज्य सरकार और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओय) पर हस्ताक्षर किए गए।

संघीय परिवहन प्राधिकरण- संयुक्त अरब अमीरात और भारत गणराज्य में नौवहन के निदेशालय में संघीय परिवहन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रिशक्षण, प्रमाणन और मानक के प्रावधानों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र की म्युचुअल पहचान पर वॉचकीपिंग (एसटीसीडब्लू, 78) और उसके संशोधन में 25 जनवरी, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत गणराज्य सरकार और साइप्रस गणराज्य की सरकार के बीच व्यापारी नौवहन पर एक समझौता 28 अप्रैल, 2017 को हस्ताक्षरित हुआ था।

बंदरगाहों, समुद्री परिवहन और रसद के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) मूल रूप से 12 फरवरी, 2008 को हस्ताक्षरित किया गया था और बाद में 10 मई, 2011 को और 11 मई, 2014 को नए सिरे से आगे बढ़ा दिया गया था। 11 अक्टूबर, 2017 को 3 वर्षों की अवधि के लिए 10 अक्टूबर, 2020 तक बढाया गया।

- 3 अक्टूबर 2012 को भारत और ऑस्ट्रिया के बीच नौवहन और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) 2 अक्टूबर 2017 तक 5 वर्षों के लिए वैध था और 5 साल की दूसरी अविध के लिए और नए सिरे से नवीनीकृत किया गया था।
- 3.9.3 संयुक्त कार्य बल / संयुक्त समुद्रीय आयोग बैठकें

भारत-रूस संयुक्त समुद्रीय आयोग (जेएमसी) की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7 फरवरी, 2017 को आयोजित की गई थी। समुद्रीय और पोत परिवहन मुद्दों पर भारत और ग्रीस के बीच संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 6 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थी। बिम्सटेक तटवर्ती नौवहन समझौते पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए कार्यकारी दल की पहली बैठक 28 से 29 नवंबर,2017 को आयोजित की गई थी।

- 3.10 महानिदेशक (शिपिंग)
- 3.10.1 परीक्षकों / सर्वेक्षकों के लिए परीक्षा शुल्क के वितरण की प्रक्रिया की समीक्षा

परीक्षा शुल्क से पारिश्रमिक / सर्वेक्षक और अन्य संबंधित मुद्धों के लिए पारिश्रमिक के वितरण की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए अतिरिक्त सचिव (नौवहन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने प्रशासनिक रूप की 15 सिफारिशों की थी। प्रशासनिक रूप की 10 सिफारिशों को लागू करने के लिए पोत परिवहन महानिदेशक का निर्देश 22.03.2017 को किया गया है। पांच वित्तीय सिफारिशों की सिफारिशों को सहमित के लिए व्यय विभाग को भेजा गया है।

3.10.2 व्यापारी नौवहन (निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र) नियम, 2017

नई व्यापारी नौवहन (निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र) नियम, 2017 को अधिसूचना क्रमांक जीएसआर 883 € 14 जुलाई, 2017 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। नए सीडीसी नियमों का मुख्य उद्देश्य सी जारी करने की सुविधा है।

4. कोस्टल और क्रूज शिपमेंट

4.1 क्रुज पर्यटन पर सम्मेलन

भारत में क्रूज पर्यटन के विकास के लिए कार्य योजना" पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए नौवहन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मैसर्स बेर्मेलो, अजिल और पार्टनर्स के एक सहयोगी के साथ मिलकर काम किया था। सलाहकार ने ग्राहक के अनुकूल और परेशानी मुक्त सैन्य प्रक्रियाओं के लिए विनियामक मुद्दों पर सिफारिशें दी हैं। क्रूज लाइन्स और टूर ऑपरेटर और विभिन्न हितधारकों (स्टेक होल्डर) तक पहुंचने के लिए, क्रूज टूरिज्म पर एक सम्मेलन 8 अगस्त, 2017 को मुंबई में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन श्री नितिन गडकरी ने किया। कार्यशाला में तीन दस्तावेज जारी किए गए, (i) भारत का समुद्री क्रूज रोड मैप, (ii) भारत में क्रूज टर्मिनल और (iii) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लिए एसओपी।

4.2 हितधारकों (स्टेक होल्डर) के साथ क्रूज पर्यटन पर राष्ट्रीय कार्यशाला

भारत में समुद्री पर्यटन के विकास के लिए कार्य योजना पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला, 27.6.2017 को नई दिल्ली में नौवहन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गयी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और तत्कालीन पर्यटन मंत्री डॉ महेश शर्मा ने कार्यशाला को संबोधित किया जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के सभी हितधारक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। नियामक एजेंसियां जो समुद्री पर्यटन को प्रभावित करने वाले मुद्दों से निपटने में भाग लेती थीं भारत में, पांच प्रमुख बंदरगाहों - मुंबई, गोवा, कोचीन, मैंगलोर और चेन्नई में समुद्री पर्यटन टर्मिनलों का विकास किया जा रहा है।

कार्यशाला में हितधारकों ने समुद्री पर्यटन बंदरगाहों के संचालन, सुरक्षा, आव्रजन, सीमा शुल्क, बंदरगाहों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कई नियामक मुद्दों पर चर्चा की और समुद्री पर्यटन पोत से निपटने के लिए सभी सरकारी संगठनों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए काम किया। नौवहन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर, देश में विभिन्न प्रमुख बंदरगाहों में परेशानी मुक्त प्रवेश के लिए एसओपी को संशोधित करता है और समुद्री पर्यटन यात्रियों के बाहर निकलता है। ये भारत में समुद्री पर्यटन शिपिंग को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए जरूरी एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक वैश्विक सलाहकार की सिफारिशों पर आधारित हैं।

4.3 समुद्री पर्यटन में पहल

देश में समुद्री पर्यटन और पर्यटन का विकास करने के लिए, सरकार ने मोरमुगा पोर्ट बंदरगाह और चेन्नई पोर्ट में नई क्रूज टर्मिनलों का निर्माण किया है। संशोधित SOPs को प्रमुख बंदरगाहों पर लागू किया गया है, जो कि 29.11.17 है।

ई-वीजा सुविधा 5 प्रमुख बंदरगाहों जैसे कि मुंबई पोर्ट, मोरमुगा पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट और चेन्नई बंदरगाह तक बढ़ा दी गई थी। भारत में क्रज जहाजों को आकर्षित करने के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों पर एक समान टैरिफ दर \$ 0.35 प्रति जीआरटी पर तय की गई है।

विदेशी ध्वज यात्री जहाजों के लिए डीजी (एस) से लाइसेंस प्राप्त किए बिना भारतीय बंदरगाहों पर कॉल करने की सुविधा फरवरी, 201 9 से फरवरी, 2024 तक बढ़ा दी गई है।

4.4 तटीय नौवहन

शिपिंग मंत्रालय के अनुरोध पर उर्वरक विभाग ने 29 मार्च 2017 को सड़क ब्रिजिंग सिहत रेल और / या तटीय नौवहन या अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा सब्सिडी वाले यूरिया और पी एंड के उर्वरकों का प्राथमिक आंदोलन शामिल किया है। अब तटीय मार्ग द्वारा सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही और सड़क भी माल ढुलाई सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए योग्य है जो उर्वरक के तटीय आंदोलन को प्रोत्साहित करेगा।

वीएल/एएम/एलआर/एजे/पीकेए/एसएस/पीबी-

(Release ID: 1513574) Visitor Counter: 1281

